www.srcedu.com

न्यायालय उप जिलाधिकारी सहारनपुर

वाद संख्या 64 / 10–11 धारा 143 ज0वि0 अधिनियम

शर्मिष्ठा चौधरी बनाम सरकार

मौजा गागलहेडी मुस्तहकम परगना हरौडो तहसील व जिला सहारनपुर।

आदेश

श्रीमती शर्मिष्ठा चौधरी पत्नी श्री प्रमोद चौधरी निवासी लक्ष्मण सिहं कालोनी मिशन कम्पाउण्ड सहारनपुर प्रबन्धक एस0आर0सी0 कालेज आफ मैनेजमेन्ट एण्ड टैक्नोलाजी गागलहेडी सहारनपुर ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0अ0 प्रस्तुत किया गया। जिसमें याचना की गई कि वादग्रस्त भूमि स्थित ग्राम गागलहेडी परगना हरौडा तहसील व जिला सेहारनपुर के खाता संख्या 116 खसरा नम्र 185 म रकबई 0.420 है0 पर एस0आर0सी0 कालेज आफ मैनेजमैन्ट एण्ड टैक्नोलाजी गागलहेडी प्रबन्धक श्रीमती शर्मिष्ठा चौधरी पत्नी श्री प्रमोद चौधरी निवासी लक्ष्मण सिह कालोनी मिशन कम्पाउण्ड सहारनपुर पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है बल्कि भूमि में मौके पर वर्तमान में विधालय भवन का निर्माण हो रहा है जिसका लगान माफ कर भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने की प्रार्थना की गई है। जिस पर तहसीलदार सदर से जॉच आख्या मँगाई गयी। तहसीलदार सदर की जॉच आख्या प्राप्त होने पर वाद दर्ज रजिस्टर कर पक्षो को न्यायालय से नोटिस जारी किया गया। तहसीलदार सदर की जॉच आख्या मे अवगत कराया कि ग्राम गागलहेडी परगना हरौडा तहसील व जिला सहारनपुर के खाता संख्या 116 खसरा नम्र 185 म रकबई 0.420 है0 पर एस0आर0सी0 कालेज आफ मैनेजमैन्ट एण्ड टैक्नोलाजी गागलहेडी प्रबन्धक श्रीमती शर्मिष्ठा चौधरी पत्नी श्री प्रमोद चौधरी निवासी लक्ष्मण सिहं कालोनी मिशन कम्पाउण्ड सहारनपुर का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर कागजात में दर्ज है। विवादित नम्बर मे मौके पर कृषि से सम्बन्धित यथा मत्स्य पालन, पशुपालन, कुक्कुट पालन, बागवानी इत्यादि के उपयोग में नहीं है बल्कि मौके पर विधालय भवन का निर्माण हो रहा है। तहसीलदार द्वारा भूमि अकृषित घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है। अन्त में भूमि अकृषिक घोषित करने की संस्तुति की है।

तहसीलदार सदर की आख्या से सुस्पष्ट है कि विवादित नम्बरान मे मौके पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है बल्कि मौके पर विधालय भवन का निर्माण हो रहा है। अतः तहसीलदार सदर की आख्या दिनांक 01.7.2011 स्वीकार की जाती है। भूमि स्थित ग्राम गागलहेडी परगना हरौडा तहसील व जिला सहारनपुर के खाता संख्या 116 खसरा नम्र 185 म रकबई 0.420 है0 पर एस0आर0सी0 कालेज आफ मैनेजमैन्ट एण्ड टैक्नोलाजी गागलहेडी प्रबन्धक श्रीमती शर्मिष्ठा चौधरी पत्नी श्री प्रमोद चौधरी निवासी लक्ष्मण सिहं कालोनी मिशन कम्पाउण्ड सहारनपुर से लगान 14.60 पैसे समाप्त करते हुये भूमि अकृषिक घोषित की जाती है। तदानुसार परवाना अमलदरामद जारी हो और आदेश की एक प्रति उप निबन्धक सहारनपुर को तदानुसार निः शुल्क निबन्धन हेतु प्रेषित की जावे। बाद पूर्ति पत्रावली दाखिल दफ्तर की जावे।

22.7.11

दिनांक 22.07.2011

उप जिलाधिकारी
सहारनपुर

सत्य प्रतिलिपि

25/08/2012